P-266

Dak No. 1055
Date 1-2-19

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3 / शिकायत) विभाग

क्रमांक प. 2(2)(90)का / क–3 / शिका. / 2018 जयपुर, दिनांक 30/1/19

आदेश

डॉ0 पवन शर्मा, तत्कालीन वरिष्ठ चिकित्साधिकारी(प्रसुति), राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय, बांसवाड़ा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजीबद्ध अपराध संख्या 293 / 2018 अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 में दण्डनीय अपराध के लिये प्रथम दृष्टया लिप्त पाये जाने पर दिनांक 17.10.18 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

अतः राज्य सरकार, राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ0 पवन शर्मा, तत्कालीन वरिष्ठ चिकित्साधिकारी(प्रसुति) को दिनांक 17.10.18 से निलम्बित माने जाने (Deemed to have been suspended) के एतदद्वारा आदेश प्रदान करती है।

डॉ0 पवन शर्मा का निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0 जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

राज्यपाल महोदय के आदेश से,

(अवधेश सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर को डॉ0 पवन शर्मा, तत्कालीन वरिष्ठ चिकित्साधिकारी(प्रसुति), राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय, बांसवाड़ा के निलम्बन आदेश की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कृपया उक्त निलम्बन आदेश डॉ0 पवन शर्मा को सुपुर्द कराकर प्राप्ति रसीद सात दिवस में इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. ~~महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर~~ ।
6. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि डॉ0 पवन शर्मा, तत्कालीन वरिष्ठ चिकित्साधिकारी(प्रसुति), राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय, बांसवाड़ा को निलम्बन हेतु रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करें एवं इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी निर्देश देवें कि वे अपना मुख्यालय आपकी पूर्व अनुमति के नही छोडें। इन्हें इनके अवकाश वेतन के बराबर उस सीमा तक यदि वे अर्द्धवेतन के अवकाश पर रहते, के बराबर उन्हें निलम्बन काल में निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होंगे।
7. डॉ0 पवन शर्मा, तत्कालीन वरिष्ठ चिकित्साधिकारी(प्रसुति), राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय, बांसवाड़ा को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ रखी गयी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करें। उन्हें यह भी निर्देश दिये जाते है कि वे निदेशक की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अपना मुख्यालय नहीं छोडें।
8. कार्मिक (क–1 / गो.प्र.) विभाग
9. कोषाधिकारी, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

(एन.एल. राव)
शासन सहायक सचिव

मुख्य भवन, कमरा नॅ0 1241, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर–302005
दूरभाष नॅ0 0141–5153222 एक्सटेंशन–21926 फैक्स नॅ0 0141–2227986
ई मेल आई.डी. avadhesh.singh-rj@gov.in

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :– सीबी / सीएएस / पी–266 / 2019 / 117 दिनांक : 11/2/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क–3 / शिका) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आदेश कमांक प. 2(2)(90)का / क–3 / शिका. / 2018 दिनांक 30.01.2019 के कम में।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर को भेजकर लेख है कि कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 30.09.2019 डॉ0 पवन शर्मा तत्का0 व0चि0अ0 (प्रसूती) को तामील करवा कर तामील रसीद भिजवाते हुये चिकित्सक को निलम्बित काल में मुख्यालय, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं में अपनी उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा / डूंगरपुर।
5. राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय, बांसवाड़ा।
6. डॉ0 पवन शर्मा, तत्का0 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (प्रसूति) राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय, बांसवाड़ा।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
8. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग / एटी / डीपीसी, मुख्यालय।
9. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय बेवसाईट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करे।
10. आदेश / रक्षित पत्रावली।

Add. D. (SP2)

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।